

From No. III

फर्द अहकाम
(नियम - 26)

अज अदालत (मुकाम)
उपस्थित अधिकारी माठ.ज.०

राजीवजी W/o नानाराम सरिकी बनाम
क्याचिदो तेजाचिदो etc.

किस्म मुकदमा नं. १६/२०१० सन्

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
२६/१/१८	<p>प्राचीनी के अधिकारों के अर्थों पर उपनगर द्वारा २१२ RAJESH R/WAS/1906 के तहत विरुद्ध अधिप्राप्ति के इस आशय का पत्र भिजा गया है, पर सरहद मीमांसा के संदर्भ नम्बर १३०६ संख्या १-१७६१०० कृषि भूमि संयुक्त स्वामिदारी की दर्ज है। उक्त वादग्रस्त किराजी का सरहद मीमांसा के माध्यम से अधिप्राप्ति के अर्थों पर विचार कर दिया। केस अधिप्राप्ति एवं अवैध अवस्था (अपनकी प्रेस) है, न प्राचीनी के फल को रबी भूमि पर विचार विरुद्ध के आराजी पर कवचा होने पर आकांक्षी है। जहाँ प्राचीनी ने आवेग रकम कर भूमि के समान एवं उपजाऊ बनाई है। इसलिए अधिप्राप्ति द्वारा भिजा जा रहे अधिप्राप्ति एवं विचार विरुद्ध के अधिप्राप्ति विवेकाशा द्वारा शोक जाना जारी कन्पापसंगत है और यदि अधिप्राप्ति को उक्त पृष्ठ करने से नहीं रोका जाया तो प्राचीनी के कृषि कार्य होगी। पञ्जाब में आपस में लड़ाई के बाद जहाँ जिससे मुकदमा की वजह से रहेगी। इसलिए अधिप्राप्ति के फल को करने से शक्य है।</p>	

तारीख
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
का तामिल में जारी हुए

6/9/19

पतावली आज पेश हुई वकील पावर्षि उपर
वकील पावर्षि उत्तर प्रकरण को आज
नहीं यमाना चाहे है तथा लिखित में
Not- प्रिक्स करने हेतु निवेदन किया
है। वकील पावर्षि के निवेदन को स्वीकार
किया जाकर हेतुगत प्रकरण/प्र
पत्र को वकील पावर्षि की सहमति
के आधार पर Not - प्रिक्स में
खारीज किया जाता है। मिलाए के जल
शुमार होकर नम्बर ले काम हो
निर्णय करे इजलारा आज दिनांक
6/9/19 को सुनाया गया।

Nota
पेश
होई

सही कालसर
M.P.

